संख्या-12/2016/664/क.नि.प्र./26-3-2016-20(59)/2000

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3- सम्बन्धित जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

5- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास),
उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊ: दिनांक: 16 जून,2016
समाज कल्याण विभाग

विषय:- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना के वित्तीय वर्ष 2016-17 के भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण।

महोदय,

अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के कल्याणार्थ विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की फांट इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया जनपदवार लक्ष्यों के आधार पर लाभार्थी/स्थल चयन कर लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के लिए कार्य-योजना बनाने का कष्ट करें और उसी आधार पर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाय। साथ ही यह भी सावधानी बरती जाय कि जिन कार्यदायी संस्थाओं का चयन बोरिंग कार्य हेतु किया जाय उनके पास तकनीकी संसाधन उपलब्ध हों।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- बोरिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने के संबंध में तीन माह के अन्दर कार्यदायी संस्थाओं का चयन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निश्चित रूप से करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3 - इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में करायी गयी बोरिंग में डुप्लीकेसी न हो इसके लिए जनपद के विभागीय अधिकारी/कर्मचारी तथा कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। निर्धारित लक्ष्यों में यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो, इस संबंध में शासन का पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाय। कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से निदेशक,समाज कल्याण एवं शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रेषित की जाए।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-12/2016/664 /क.नि.प्र./26-3-2016-20(59)/2000 दिनांक 16 जून,2016 का संलग्नक।

(नि:शुल्क बोरिंग हेतु वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की फांट)

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य
1	2	3	1	2	3
1.	अलीगढ़	150	25.	महाराजगंज	450
2.	मथुरा	150	26.	बस्ती	450
3.	मैनपुरी	150	27.	सन्त कबीर नगर	200
4.	एटा	150	28.	सिद्धार्थनगर	450
5.	बुलन्दशहर	200	29.	गोण्डा	400
6.	बरेली	150	30.	बलरामपुर	200
7.	शाहजहांपुर	250	31.	बहराइच	450
8.	पीलीभीत	300	32.	श्रावस्ती	200
9.	बदायूं	200	33.	आजमगढ़	200
10.	मुरादाबाद	400	34.	मऊ	100
11.	जे0पी0 नगर	400	35.	सम्भल	100
12.	रामपुर	250	36.	अमेठी	200
13.	बिजनौर	350	37.	फैजाबाद	450
14.	इलाहाबाद	100	38.	अम्बेडकर नगर	100
15.	कानपुर नगर	300	39.	सुल्तानपुर	100
16.	कानुपर देहात	100	40.	बाराबंकी	300
17.	इटावा	300	41.	उन्नाव	250
18.	औरैया	150	42.	रायबरेली	450
19.	कन्नौज	300	43.	सीतापुर	400
20.	गाजीपुर	100	44.	हरदोई	200
21.	जौनपुर	100	45.	लखीमपुर खीरी	450
22.	गोरखपुर	400	46.	कांशीराम नगर	100
23.	देवरिया	100	47.	फर्रूखाबाद	100
24.	कुशीनगर	450	48;	बलिया	200
				कुल योग-	12000

(दीनानाथ)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।